

प्रारूप 8क
{नियम 13 (4) और 26 देखिए}

निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि को अन्यत्र रखने के लिए आवेदन			
<p>सेवा में</p> <p>निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर,विधान सभा / संसदीय^f निर्वाचन-क्षेत्र</p>			
<p>हाल ही के पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ (3.5 सेमी0 x 3.5 सेमी0), के लिए स्थान जिसमें सामने के चेहरे की पूरी आकृति स्पष्ट हो, चिपकाने के लिए स्थान</p>			
<p>महोदय,</p> <p>मैं नियेदन करता हूँ कि उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में मुझसे* / नीचे नामित व्यक्ति* से संबंधित प्रविष्टि, इस निर्वाचन-क्षेत्र की नामावली के सुरांगत भाग में अन्यत्र रख दी जानी चाहिए। अन्यत्र रखी जाने वाली प्रविष्टि का विवरण निम्नानुसार है:-</p>			
<p>I. उस व्यक्ति के ब्यारे जिसकी प्रविष्टि को अन्यत्र रखा जाना है</p>	<p>नाम</p>		
	<p>उस निर्वाचक नामावली का, जिसमें उसका नाम सम्मिलित है, भाग संख्या:</p>	<p>उस भाग में उसका/ उसकी क्रम संख्या:</p>	<p>निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र संख्या (यदि जारी किया गया हो):</p>
<p>*पिता / माता / पति का नाम</p>	<p>नाम</p>		
<p>II. वर्तमान साधारण निवास स्थान का विवरण (पूरा पता):</p>			
<p>मकान / गृह संख्या:</p>			
<p>गली / क्षेत्र / परिक्षेत्र / मोहल्ला / सड़क:</p>			
<p>नगर / ग्राम:</p>			
<p>डाकघर:</p>		<p>पिन कोड:</p>	
<p>तहसील / तालुक / मंडल / थाना:</p>			
<p>जिला:</p>			
<p>III. आवेदन की तारीख को उपर्युक्त पते पर वर्ष:</p>		<p>मास:</p>	
<p>लगातार निवास करने की अवधि</p>			
<p>IV. वह भाग संख्या, प्रविष्टि जहां स्थानांतरित की जानी है (यदि ज्ञात हो)</p>			
<p>[@] V. आवेदक के ब्यारे</p>	<p>नाम:</p>		<p>उपनाम (यदि कोई है)</p>
	<p>उस निर्वाचक नामावली का, जिसमें आवेदक का नाम सम्मिलित है, भाग संख्या :</p>		<p>निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र संख्या (यदि जारी किया गया है) :</p>

^f उन संघ राज्यों क्षेत्रों जिनमें विधान सभा नहीं हैं और जम्मू और कश्मीर राज्य के मामले में।

* अनुपयुक्त विकल्प को काट दें।

[@] जहां आवेदक स्वयं से संबंधित प्रविष्टि को स्थानांतरित करने की मांग करता है वहां भाग 5 नहीं भरा जाए।

VI. घोषणा:-

मैं यह घोषणा करता हूँ कि ऊपर वर्णित तथ्य और विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विष्वास से सही है ।

स्थान:

तारीख:

आवेदक का हस्ताक्षर या अंगठे का निषान

टिप्पणी:- जो व्यक्ति ऐसा वक्तव्य देता है या घोषणा करता है, जो मिथ्या है या जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विष्वास है या जिसके सत्य होने का विश्वास नहीं है, वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 31 के अधीन दंडनीय होगा ।

की गई कार्रवाई के ब्यौरे

(निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा भरा जाए)

श्री / श्रीमती / कुमारी से स्वयं श्री / श्रीमती / कुमारी..... से संबंधित प्रविष्टि के निर्वाचक नामावली में अन्यत्र स्थानांतरण के लिए प्रारूप 8क में प्राप्त आवेदन को स्वीकार* / नामंजूर* कर दिया गया है ।

*स्वीकार किए जाने या *नामंजूर किए जाने [नियम 26(4)* के अधीन] के लिए विस्तृत कारण

स्थान:		
दिनांक:	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का हस्ताक्षर	(निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की मुहर)

*अनुपयुक्त विकल्प को कट्ट दें ।

क्षेत्रीय अधिकारी (अर्थात् बूथ लेबल आफिसर, पदाभिहित अधिकारी, पर्यवेक्षी अधिकारी) की टिप्पणियां

कृत कार्यवाही की सूचना

(इस पेज का भाग—II संबंधित निवाचन क्षेत्र के निवाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा भरा जायेगा एवं आवेदक द्वारा भाग—I में दिये गये पते पर भेजा जायेगा)

.....प्रथम मोड़.....

भाग—I

डाक प्रेषण हेतु
निवाचक
रजिस्ट्रीकरण
अधिकारी डाक
टिकट यहां
छिपकाया जाय

प्रारूप—8क पर **श्री / श्रीमती / कुमारी.....का आवेदन पत्र

**(पूरा नाम)			
मकान / दरवाजा नम्बर :			
स्ट्रीट / क्षेत्र / मुहल्ला / रोड :			
नगर / ग्राम का नाम :			
पोस्ट आफिस :	पिन कोड :		
तहसील / तालुका / :			
मण्डल / थाना			
जिला :			
मोबाईल नम्बर :	ई-मेल आईडी०		

**आवेदक द्वारा भरा जायेगा।

द्वितीय मोड़.....

भाग—II

- (क) श्री / श्रीमती / कुमारी.....द्वारा प्रारूप—8क पर प्रस्तुत आवेदन स्वीकृत कर लिया गया है एवं विधान सभा निवाचन क्षेत्र (की संख्या एवं नाम).....के भाग संख्या.....से अपमार्जित कर भाग संख्याके क्रमांक.....पर तदनुसार पंजीकृत कर लिया गया है।
- (ख) आवेदन अस्वीकृत कर लिया गया है। कारण

दिनांक

निवाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
(पता)

.....

छिद्रण.....

आवेदन की पावती

**श्री / श्रीमती / कुमारी.....

**पता.....

से प्रारूप 8क में आवेदन प्राप्त किया ।

दिनांक:.....

निवाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
की ओर से आवेदन प्राप्त करने वाले
अधिकारी का हस्ताक्षर
(पता).....

.....

**आवेदक द्वारा भरा जाए ।

आवेदन प्रारूप—8क भरने के लिए दिषा—निर्देश

सामान्य अनुदेश

प्रारूप—8क कौन दाखिल कर सकता है

- जिस व्यक्ति का नाम वर्तमान निर्वाचक नामावली में पहले से ही समाविष्ट है, वह उसी निर्वाचन क्षेत्र में प्रविष्टि को अन्यत्र स्थानांतरित करने के लिए आवेदन कर सकता है।

प्रारूप—8क कब दाखिल किया जा सकता है

- उसी निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत अपने या किसी और से सम्बन्धित प्रविष्टि के अन्यत्र स्थानांतरित करने के लिए निर्वाचक नामावली के प्रारूप प्रकाशन के पश्चात् आवेदन दाखिल किया जा सकता है। आवेदन, इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट दिनों के भीतर ही दाखिल किया जाना होता है। जब पुनरीक्षण कार्यक्रम की उद्घोषणा होती है, तब उपर्युक्त अवधि के विषय में व्यापक प्रचार किया जाता है।
- आवेदन की केवल एक प्रति ही दाखिल करनी होती है।
- पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी नहीं रहने पर भी उसी निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत नाम अन्यत्र स्थानांतरित करने के लिए आवेदन वर्ष में कभी भी दाखिल किया जा सकता है। गैर—पुनरीक्षण अवधि के दौरान आवेदन दो प्रतियों में दाखिल किया जाना चाहिए।

प्रारूप—8क कहाँ दाखिल किया जाए

- पुनरीक्षण अवधि के दौरान आवेदन उन अभिहित स्थलों (प्रायः मतदान केन्द्र स्थल), जहाँ प्रारूप निर्वाचक नामावली प्रदर्शित की जाती है, के साथ—साथ निर्वाचन—क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास दाखिल की जा सकती है।
- वर्ष की अन्य अवधि के दौरान जब पुनरीक्षण का कार्य नहीं चल रहा हो, तब आवेदन केवल निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास ही दाखिल किया जा सकता है।

प्रारूप—8क कैसे भरें

- आवेदन उस निर्वाचन—क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को संबोधित किया जाना चाहिए, जहाँ आवेदक सम्बन्धित प्रविष्टि का स्थानांतरण चाहते हैं। खाली स्थान में निर्वाचन—क्षेत्र के नाम का उल्लेख किया जाना चाहिए।
- आवेदन के भाग I में नाम, भाग संख्या, नामावली की क्रम संख्या जहाँ नाम पहले से प्रविष्ट है, मतदाता फोटो पहचान—पत्र संख्या और नातेदार का नाम (जैसा कि निर्वाचक नामावली में मुद्रित हैं) भरें।
- आवेदन के भाग II में कृपया नये स्थान का पूरा पता लिखे जहाँ आप या संबंधित व्यक्ति ने निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर अपना साधारण आवास स्थानांतरित कर लिया है। कृपया अपूर्ण पता न लिखें क्योंकि ऐसा होने पर सम्भव है कि आपके द्वारा दिये गये पते को सही भाग से सम्बद्ध करना सम्भव नहीं होगा।
- आवेदन के भाग III में, आवेदन के भाग-II में विनिर्दिष्ट नये पते पर कितने समय से नियमित रूप से निवासी हैं, इस बात का उल्लेख किया जाना है।
- आवेदन के भाग IV में निर्वाचक सूची के उस भाग की संख्या उल्लिखित करें, जिस भाग में नये क्षेत्र के निवासी, जहाँ आप स्थानांतरित हुए हैं, निर्बन्धित हैं। यह प्रविष्टि ऐच्छिक है। यदि आपको निर्वाचक नामावली की भाग संख्या पता नहीं है तो खाली स्थान छोड़ दें।
- आवेदन का भाग—V उस मामले में नहीं भरा जाना है जहाँ अपने से संबंधित प्रविष्टि के स्थानांतरण हेतु आवेदन दिया गया है। यह भाग उसी समय भरा जाना होगा यदि आवेदक किसी और व्यक्ति की प्रविष्टि के स्थानांतरण के लिए आवेदन करता है।